रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 1976/आश्विन 12, 1898
No. 331] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 1976/ASVINA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October 1976

G. S. R. 831 (E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Passports Act 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, 1976.

2. In Schedule 1 to the Passports Rules, 1967,—

(1) for S.No. 7 and the entries relating thereto, the following S. No. shall be substituted, namely :—

"7(a) Regional Passport Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Officer, Madras).	The States of Tamil Nadu and Karnataka and the Union Territory of Pondicherry.
(b) Assistant Passport Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	Do.
(c) Public Relations Officer, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	Do."

(2) S. Nos. 9, 10 and 11 shall be re-numbered as S. Nos. 10, 11 and 12 thereof respectively, and before S. No. 10 so re-numbered, the following S. No. shall be inserted, namely :—

"9(a) Regional Passport Office, Hyderabad (Regional Passport Office, Hyderabad).	The State of Andhra Pradesh.
(b) Assistant Passport Officer, Hyderabad (Regional Passport Office, Hyderabad).	Do.
(c) Public Relations Officer, Hyderabad (Regional Passport Office, Hyderabad).	Do."

[No. VI/401/43/76]

THOMAS ABRAHAM Addl. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1976

जी० एस० आर० 831(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा; पासपोर्ट नियम 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ; यथा :

1. ये नियम पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम 1967 कहलायेंगे ।

2. पासपोर्ट नियम 1967 की अनुसूची 1 में

(1) क्रम सं० 7 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, यथा :

"7 (क)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास अधिकारी, मद्रास)	तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य तथा पांडिचेरी संघ प्रदेश
(ख)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास कार्यालय मद्रास)	वही
(ग)	जन-संपर्क अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, मद्रास)	वही"

(2) क्रम सं० 9, 10 और 11 के स्थान पर क्रमशः क्रम सं० 10, 11, 12 रखी जाएगीं और क्रम संख्या 10 से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ दी जाए, यथा :

"9(क)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, हैदराबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश राज्य
(ख)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी; हैदराबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	वही
(ग)	जन-संपर्क अधिकारी; हैदराबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	वही"

[सं० VI/401/43/76]

तोमस अब्राहम, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976